रेल दावा अधिकरण, नागपुर पीठ, नागपुर के समक्ष

कोरम : श्री संजीव अग्रवाल, माननीय सदस्य (न्यायिक)
श्री सैयद निशात अलि, माननीय सदस्य (तकनीकी)

दावा आवेदन संख्या – ओए।।(यू)/एनजीपी/65/2022

दावा दर्ज करने की तिथि – 29.08.2022
निर्णय तिथि – 19.12.2023

वादी : 1. संतोष सुपुत्र श्यामलाल
उम्र 42 वर्ष, व्यवसाय – श्रमिक

2. ममता पत्नी संतोष
उम्र 37 वर्ष, व्यवसाय – गृहिणी

3. योगेन्द्र सुपत्र संतोष
उम्र 17 वर्ष, व्यवसाय – शिक्षा
(आवेदक क्र.3 आवेदक क्र.1 पिता के द्वारा)

सभी निवासी – पोस्ट जिरोन, ता. एवं जिला – ललितपुर,
उत्तर प्रदेश – 284403

बनाम

प्रतिवादी : भारत संघ
द्वारा महाप्रबंधक
मध्य रेल, सीएसटी मुंबई

दावे की राशि रु.8,00,000/–

निर्णय

आवेदकों की ओर से अधिवक्ता एस. चौधरी
प्रतिवादी की ओर से अधिवक्ता एन. लाटी

आवेदकों ने यह दावा जीतु सुपुत्र संतोष, उम्र 22 वर्ष की अनपेक्षित दुर्घटना में हुई मृत्यु के कारण मृतक के माता–पिता, अवयस्क भाई तथा मृतक के आश्रित होने के नाते प्रतिवादी रेलवे के विरूद्ध रेल दावा अधिकरण अधिनियम की धारा 16 के तहत इस अधिकरण में दाखिल किया है और प्रतिवादी से रु.8.00 लाख के मुआवजे की मांग की है।

1. **दावा आवेदन के अनुसार दुर्घटना के मुख्य अंश :–**

क. दुर्घटना की तिथि : 30.08.2021

ख. मृतक का नाम : जीतु सुपुत्र संतोष

ग. आवेदकों का मृतक के साथ : आवेदक क्र.1 मृतक के पिता, आवेदिका क्र.2

	रिश्ता		मृतक की माता एवं आवेदक क्र.3 मृतक का छोटा अवयस्क भाई है।
घ.	ट्रेन एवं यात्रा का विवरण	:	मृतक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर डी.बी. एंटरप्राइजेस, अहमदाबाद का कर्मचारी था। मृतक अहमदाबाद से दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रेनों में सफाई एवं देखरेख का कार्य करता था। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर डी. बी. एंटरप्राइजेस, अहमदाबाद ने उसे ट्रेन में कार्य करने हेतु यात्रा करने के लिए पहचान पत्र जारी किया था जो दिनांक 11.08.2021 से 10.09.2021 तक वैध था। मृतक सफाई कार्य हेतु दिनांक 30.08.2021 को अहमदाबाद से बरौनी की यात्रा ट्रेन नं. 09483 डाउन से यात्रा कर रहा था।
ड.	संक्षिप्त में घटना का विवरण	:	यात्रा के दौरान दिनांक 30.08.2021 को ट्रेन के अचानक झटके की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जलगांव–भादली रेलवे स्टेशन, कि.मी. 426/09 – 426/07 के बीच चलती ट्रेन से गिर गया और उसके सिर पर और दोनों पैर पर गंभीर चोट लग गई। गिरने के बाद घायल जीतू ने उसके फोन से उसके साथ कार्यरत उसके रिश्तेदार रूपसिंह प्रकाश अहिरवार को फोन कर बताया कि वह चलती ट्रेन से गिर गया है। उसके रिश्तेदार रूपसिंह प्रकाश अहिरवार ने तुरंत एसीपी कर ट्रेन रोकी और वह उसके साथी के साथ घायल जीतु के पास पहुंचा और उसे उठाकर ट्रेन में रखकर भुसावल रेलवे स्टेशन तक लाए और उसे डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जलगांव में भर्ती किया। इलाज के दौरान दिनांक 06.09.2021 को जीतु की मृत्यु हो गई। आवेदकों ने कथित घटना को अनपेक्षित दुर्घटना बताकर प्रतिवादी रेलवे से मुआवजे की मांग की है और अधिकरण के समक्ष यह दावा आवेदन दाखिल किया है।
च.	अधिकरण का क्षेत्राधिकार	:	घटनास्थल अधिकरण के क्षेत्राधिकार में आता है।

2. **जवाब के मुख्य अंश** :

अ. प्रतिवादी रेलवे का लिखित कथन में कहना है कि मृतक रेल कर्मचारी नहीं था और जाँच के दौरान मृतक का यात्रा टिकट अथवा पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ। अतः मृतक वास्तविक

यात्री नहीं था। मृतक स्वयं अधिरोपित चोट की घटना में मृत हुआ था जिसके लिए प्रतिवादी रेलवे जवाबदार नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।

ब. **डीआरएम रिपोर्ट का सार** :– डीआरएम रिपोर्ट में प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि रेल ट्रेक यातायात के लिए फिट था इसीलिए घटनास्थल पर ट्रेन में झटका लगने की कोई संभावना नहीं है। घटना को कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। कथित घटना में रेल प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं है।

स. **ट्रायल के दौरान किए गए प्रतिवाद या डीआरएम रिपोर्ट से भिन्न तथ्य** :– कुछ नहीं

3. **मिसाल के तौर पर प्रस्तुत किए गए मामले एवं उनका अंश** : कुछ नहीं

4. **प्रस्तुत की गई गवाही का विवरण** :–

आवेदक संतोष सुपुत्र श्यामलाल की गवाही ए.डब्ल्यू–1 के तौर पर पेश की गई एवं दस्तावेज ए–1 से ए–21 चिन्हित किए गए। आवेदक ने शपथपत्र ए.डब्ल्यू.–1 प्रस्तुत किया। प्रतिवादी रेलवे द्वारा विभिन्न दस्तावेजों सहित डीआरएम रिपोर्ट दाखिल की गई।

5. **निर्धारित किए गए मुद्दे एवं मुद्दों पर विचार कर लिया गया निर्णय** :

दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर निर्धारित किए गए मुद्दे :–

मुद्दा नं. 1. – क्या आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (ब) के अनुसार मृतक के आश्रित हैं ?

6. आवेदक क्र.1 मृतक के पिता, आवेदिका क्र.2 मृतक की माता एवं आवेदक क्र.3 मृतक का छोटा अवयस्क (नाबालिग) भाई है। आवेदकों ने रेकार्ड पर मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र, मृतक एवं आवेदकों के आधार कार्ड की प्रतियां तथा राशन कार्ड की प्रति दाखिल की है। उपरोक्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक रेल अधिनियम की धारा 123 (b) के तहत मृतक के आश्रित हैं। तद्नुसार इस मुद्दे का निर्धारण किया जाता है।

मुद्दा नं.2. क्या मृतक संबंधित तिथि को वैध यात्रा टिकट के साथ कथित ट्रेन का वास्तविक यात्री था ?

7. आवेदकों का कहना है कि मृतक रेलवे कॉन्ट्रैक्टर डी.बी. एंटरप्राइजेस, अहमदाबाद का कर्मचारी था। मृतक अहमदाबाद से दूसरे शहरों में जाने वाली ट्रेनों में सफाई एवं देखरेख का कार्य करता था। रेलवे कॉन्ट्रैक्टर डी.बी. एंटरप्राइजेस, अहमदाबाद ने उसे ट्रेन में कार्य करने हेतु यात्रा करने के लिए पहचान पत्र जारी किया था जो दिनांक 11.08.2021 से 10.09.2021 तक वैध था। मृतक सफाई कार्य हेतु दिनांक 30.08.2021 को अहमदाबाद से बरौनी की यात्रा ट्रेन नं. 09483 डाउन से यात्रा कर रहा था। अनपेक्षित घटना में मृतक का पहचान पत्र खो गया। कार्य के दौरान ही मृतक चलती ट्रेन से गिरा था। अतः मृतक एक वैध यात्री था। प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि मृतक रेल कर्मचारी नहीं था और जाँच के दौरान मृतक का यात्रा टिकट अथवा पहचान पत्र बरामद नहीं हुआ। अतः मृतक वास्तविक यात्री नहीं था। परंतु प्रतिवादी रेलवे के इस प्रतिवाद को

स्वीकार नहीं किया जा सकता। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों से यह साबित हो जाता है कि मृतक को ट्रेन में साफ–सफाई के कार्य हेतु रेलवे कॉन्ट्रैक्टर डी.बी. एंटरप्राइजेस, अहमदाबाद द्वारा ट्रेन नं. 09483 डाउन में तैनात किया गया था। मृतक उसकी ड्यूटी पर तैनात था। अनपेक्षित घटना में मृतक के पक्ष में जारी किया गया उसका पहचान पत्र खो गया था। उप स्टेशन प्रबंधक, भुसावल के मेमो एक्जीबिट ए–1 के अवलोकन से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि मृतक पश्चिम रेलवे, अहमदाबाद के कॉन्ट्रैक्टर के अधीन ओबीएचएस कर्मचारी के रूप में कार्यरत था और वह ट्रेन में यात्रा करने के लिए अधिकृत था। अतः इन परिस्थितियों में इस तथ्य को स्वीकार किया जा सकता है कि मृतक एक वैध यात्री था। अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता है।

मुद्दा नं. 3. क्या मृतक की मृत्यु रेल अधिनियम की धारा 124–ए (धारा 123(सी) के साथ पठित) के अनुसार दावा आवेदन में अभिकथित अनपेक्षित दुर्घटना की वजह से हुई ?

8. दावा आवेदन के अनुसार मृतक दिनांक 30.08.2021 को ट्रेन नं. 09483 डाउन में अहमदाबाद से बरौनी की यात्रा सफाई कार्य हेतु कर रहा था। कार्य के दौरान ट्रेन के अचानक झटके की वजह से उसका संतुलन बिगड़ गया और वह जलगांव–भादली रेलवे स्टेशन, कि.मी. 426/09 – 426/07 के बीच चलती ट्रेन से गिर गया और उसके सिर पर और दोनों पैर पर गंभीर चोट लग गई। गिरने के बाद घायल जीतू ने उसके साथ ट्रेन में कार्य करने वाले उसके रिश्तेदार रूपसिंह प्रकाश अहिरवार को फोन कर बताया कि वह चलती ट्रेन से गिर गया है। उसके रिश्तेदार रूपसिंह प्रकाश अहिरवार ने तुरंत एसीपी कर ट्रेन रोकी और वह उसके साथी के साथ घायल जीतु के पास पहुंचे और उसे उठाकर ट्रेन में रखकर भुसावल रेलवे स्टेशन तक लाए और उसे डॉ. उल्हास पाटिल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जलगांव में भर्ती किया। इलाज के दौरान दिनांक 06.09.2021 को जीतु की मृत्यु हो गई। आवेदक संतोष श्यामलाल, ए.डब्ल्यू–1 ने प्रति–परीक्षण में बताया कि वह मृतक के साथ यात्रा नहीं कर रहा था और न ही वह घटना का प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। यह कहना सही है कि जीतु अहमदाबाद से बरौनी जा रहा था।

9. मेमो एक्जीबिट ए–1 के द्वारा उप स्टेशन प्रबंधक, भुसावल ने जीआरपी, डाउन साइड भुसावल को यह सूचित किया कि गाड़ी संख्या 09483 DN से OBHS, Staff W. Rly., ADi का Contractor के अधीन कार्यरत व्यक्ति जिसका नाम जीतु अहिरवार, यह व्यक्ति जलगांव–भुसावल के दरम्यान गिर गया था। पुलिस थाना, नशीराबाद पुलिस स्टेशन की डायरी विवरण दिनांक 07.09.2021 के अनुसार मृतक ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। एक्जीबिट ए–3 जाहिर रिपोर्ट एवं एक्जीबिट ए–7 मरणोत्तर पंचनामा के अनुसार भी मृतक चलती ट्रेन से गिरकर जख्मी हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। आवेदकों ने पत्रावली में एक्जीबिट ए–11 पर मृतक के साथ ट्रेन में कार्य करने वाले उसके रिश्तेदार रूपसिंह प्रकाश अहिरवार का बयान दाखिल किया है। रूपसिंह प्रकाश अहिरवार ने बयान में बताया कि वह मृतक जीतु संतोष अहिरवार के साथ कॉन्ट्रैक्ट सफाई काम ट्रेन 09483 डाउन में करता था। दिनांक 29.08.2021 को 00:35 बजे गाड़ी अहमदाबाद से बरौनी जाने के लिए निकली थी। जब गाड़ी जलगांव से निकली तो जीतु कोच बी/2 से कि.मी. 426/09 के पास गाड़ी से गिरकर घायल हो गया था। जीतु ट्रेन के कोच बी/2 में सफाई के लिए गया था और गाड़ी का दरवाजा खुला होने से गाड़ी के झकोले (झटके) की वजह से वह गाड़ी से गिर गया था।

10. प्रतिवादी रेलवे ने कथित ट्रेन नं.09483 के लोको पायलट गिरीश मधुसुदन तारे का बयान रेकार्ड पर दाखिल किया है। बयान में उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि ट्रेन में कि.मी. 426/09–07 पर एसीपी हुई थी। ट्रेन नं.09483 के ट्रेन मैनेजर श्री अशोक गोरख कुंवर ने बयान में बताया कि उनकी ड्यूटी के दौरान ट्रेन में कि.मी. 426/09–07 के बीच एसीपी होने पर वह ट्रेन से उतरे। इंजिन से सातवें कोच में एसीपी हुई थी। एसीपी पुट राइट करने के बाद वहाँ उपस्थित सफाई कर्मचारी ने उन्हें बताया कि एक OBHS का स्टाफ नीचे गिर गया था इस कारण ट्रेन में उन्हीं के कर्मचारियों द्वारा एसीपी कर नीचे गिरे हुए कर्मचारी को उठाकर गार्ड के पासवाले जनरल कोच में लाये थे।

11. प्रतिवादी रेलवे का कहना है कि मृतक स्वयं की लापरवाही एवं स्वयं अधिरोपित चोट की घटना में मृत हुआ था जिसके लिए प्रतिवादी रेलवे जवाबदार नहीं है। रेल ट्रैक यातायात के लिए फिट था इसीलिए घटनास्थल पर ट्रेन में झटका लगने की कोई संभावना नहीं है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी गवाह नहीं है। कथित घटना में मृतक की मृत्यु के लिए प्रतिवादी रेलवे जवाबदार नहीं है। अतः इन परिस्थितियों में आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं। परंतु प्रतिवादी रेलवे के प्रतिवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मृतक कथित ट्रेन में सफाई कार्य के लिए तैनात था और वह ट्रेन से यात्रा कर रहा था। सफाई के दौरान ट्रेन के झटके की वजह से वह चलती ट्रेन से गिर गया और इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस तथ्य पर कोई मतभेद नहीं है कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने के कारण हुई थी। पत्रावली पर मौजूद सभी दस्तावेज इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरने की वजह से हुई थी। इन परिस्थितियों में यह स्वीकार किया जा सकता है कि कथित घटना अनपेक्षित घटना की श्रेणी में आती है और मृतक की मृत्यु चलती ट्रेन से गिरकर अनपेक्षित दुर्घटना में हुई थी। अतः यह मुद्दा आवेदकों के पक्ष में उत्तरित किया जाता है.

मुद्दा नं. 4. राहत ?

12. मुद्दा क्र.1 में यह साबित हो गया है कि आवेदक मृतक के आश्रित हैं एवं मुद्दा क्र.2 एवं 3 में यह भी साबित हो गया है कि मृतक एक अधिकृत यात्री था और उसकी मृत्यु अनपेक्षित दुर्घटना में हुई थी, अतः आवेदक मुआवजा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अतः इस मामले में निम्न आदेश पारित किया जाता है।

<u>आदेश</u>

13. यह दावा आवेदकों के पक्ष में निर्णीत किया जाता है। आवेदकों को रु.8,00,000/– (रु. आठ लाख मात्र) का मुआवजा देने का आदेश दिया जाता है। आवेदकों को दुर्घटना की तिथि से इस आदेश की तिथि तक मुआवजा राशि पर 6% साधारण ब्याज की दर से ब्याज भी प्रदान किया जाता है। प्रतिवादी रेलवे को मुआवजा राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिन का समय दिया जाता है। प्रतिवादी रेलवे मुआवजा राशि का भुगतान इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर करेगा। यदि प्रतिवादी रेलवे 30 दिनों के भीतर आवेदकों को मुआवजा राशि का भुगतान करने में असफल रहता है तो आवेदक उनकी मुआवजा राशि पर इस आदेश की तिथि से भुगतान की तिथि तक 9% प्रतिवर्ष की दर से आगे का ब्याज (Future Interest) प्राप्त करने के हकदार होंगे। मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार हैः–

आवेदक का नाम	मुआवजा राशि	मुआवजा राशि का विवरण	
		नकद राशि	एन्यूटी राशि/ सावधि जमा राशि
संतोष सुपुत्र श्यामलाल	3,00,000/-	30,000/- + ब्याज	2,70,000/-
ममता पत्नी संतोष	3,00,000/-	30,000/- + ब्याज	2,70,000/-
योगेन्द्र सुपत्र संतोष	2,00,000/-	-	2,00,000/-

14. जहाँ तक मुआवजे की राशि के वितरण का प्रश्न है, हमने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को सुना। गीता देवी बनाम भारत संघ (एफ.ए.ओ. 22/2015 एवं सीएमए 4501/2015) दिनांक 24 मई, 2019, मामले में माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा निम्न बातों पर गौर कर आदेश पारित किया गया :-

> 5. As Regards Amendment to the Railway Accidents and Untoward Incidents (Compensation) Rules, 1990
>
> 1.1 Many of the claimants are drawn from rural areas with low levels of literacy and lower levels of making appropriate decision for the use of amounts guaranteed under the awards. There are several instances of their exploitation by middlemen and touts operating in the field. The scope for such exploitation is itself one of the incentives for fomenting bogus claims, fabricated documents and duplicate claims in different Benches of the Tribunal for the same cause of action. The availability of bulk funds in the name of an ill-informed claimant is also a cause for exploitation. A scheme for protection of the amount due to such a claimant is the need of the hour. Earlier, this Court has involved 21 Nationalised Banks in dialogue to evolve a scheme of annuities for disbursement of claims. They have been ordered already to be implemented in this case, vide directions passed on 22nd February, 2019. This scheme as applied to motor accident claims has been approved by the Supreme Court in its order dated 05 th March, 2019 in Krishnamurthi v New India Insurance Company, SLP (C) No.31521-31522 OF 2017. A statutory rule backing will, therefore, best serve the interest of litigant….."

15. माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित किए गए आदेश के अनुपालन में भारत सरकार ने दिनांक 3 जून 2020 को अधिसूचना क्र.जीएसआर (ई) 347 जारी करते हुए रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 को संशोधित किया जो निम्नानुसार है:-

"5. Mode of Payment -

5.1 The Tribunal may, in order to protect the sum awarded to the claimant, having due regard to the illiteracy or other disabling factors impairing the judicious use of such sum, issue directions for disbursing the award in terms of annuities, fixed deposits or other suitable mode as shall subserve justice.

5.2 If any of the claimants is a minor or person of unsound mind, the Tribunal may give liberty to the guardian ad litem to use the interest accruals on the deposit that shall be made during the minority for maintenance.

5.3 Nothing in this rule shall limit the power of the Tribunal to make modifications of the mode of disbursal for reasons to be stated in writing depending on the exigencies requiring liquidation of any corpus created for annuity or premature closure of fixed deposit, for the benefit of the claimant.

5.4 The orders dated 21st April, 2017, 24th May, 2019 and 06th November, 2019 of Hon'ble High Court of Delhi in FAO No. 22/2015 and CM Application No. 4501/2015 in Geeta Devi Vs Union of India, relating to disbursement of compensation shall be read as part of this rule.

16. अतः दिनांक 03 जून 2020 के नोटिफिकेशन के अंतर्गत संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5 के अनुपालन के अनुसार वर्तमान केस में मुआवजा राशि का वितरण निम्नानुसार किया जाता हैः–

17. प्रतिवादी रेलवे को निर्देश दिया जाता है कि वह ब्याज सहित मुआवजा राशि को अपर निबंधक द्वारा संचालित रेल दावा अधिकरण, नागपुर के स्युटर मनी (Suitors Money) एकाउंट में इस आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर जमा करे। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी रेलवे ब्याज सहित मुआवजा राशि को जमा करते समय भुगतान का पूर्ण विवरण जैसे यू.टी.आर नंबर, ब्याज की गणना सहित प्रत्येक आवेदक के मुआवजा राशि का हिस्सा इत्यादि की सूचना पंजीकृत डाक से आवेदकों को देगा एवं इसकी एक प्रति अपर निबंधक और आवेदक के अधिवक्ता को भी देगा।

18. आवेदक क्र.1 एवं 2 प्रत्येक को प्रदान की गई मुआवजा राशि में से 10% राशि एवं ब्याज की राशि को आवेदक क्र.1 एवं 2 प्रत्येक के बचत बैंक खाते में ईसीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा किया जाएगा। आवेदक क्र.1 एवं 2 प्रत्येक की शेष मुआवजा राशि को रु.7,500/– के 36 (छत्तीस) समान भागों में एफ.डी. में विभाजित कर एक से छत्तीस माह की अवधि के लिए बढ़ते क्रम में निवेश किया जाएगा। बैंक द्वारा प्रतिमाह एक मासिक जमा राशि + संचयी ब्याज की एक एफ.डी. को क्रमानुसार आवेदक क्र.1 एवं 2 प्रत्येक के बैंक खाते में जमा किया जाएगा। रेकार्ड पर दाखिल किए गए आवेदक क्र.3 के आधार कार्ड से ज्ञात होता है कि आवेदक क्र.3 वर्तमान में नाबालिग है और वह 14.01.2024 को बालिग हो रहा है। अतः आवेदक क्र.3 को प्रदान की गई मुआवजा राशि एवं ब्याज की राशि को उसके निवास स्थान के बचत बैंक खाते में 5 वर्ष की अवधि के लिए सावधि जमा किया जाए। आवेदक क्र.3 को उसकी सावधि जमा राशि से प्रति तिमाही ब्याज प्राप्त करने की स्वतंत्रता होगी। सावधि जमा की अवधि समाप्त होने के बाद आवेदक क्र.3 कोर्ट के आदेश के बिना अपनी सावधि जमा राशि का नकदीकरण कर सकता है।

19. प्रत्येक आवेदक को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने निवास स्थान के निकट स्थित राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते का विवरण इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करे।

20. यदि आवेदक टीडीएस कटौती की छूट के हकदार हैं तो वे फार्म 15–जी या फार्म 15–एच (वरिष्ठ नागरिक) को इस आदेश की तिथि से 15 दिनों के भीतर प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के समक्ष

जमा करें एवं इस स्थिति में मुआवजा राशि से किसी भी प्रकार के टीडीएस की कटौती नहीं की जाएगी।

21. जीएसआर 347 (ई) दिनांक 03 जून 2020 के अनुसार संशोधित रेलवे दुर्घटना एवं अनपेक्षित दुर्घटना (मुआवजा) नियम 1990 के नियम 5.4.4 के अनुपालन हेतु सावधि जमा के लिए निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जाएः—

i. आवेदक के बचत खाते या सावधि जमा खाते पर बैंक किसी भी संयुक्त खाते की अनुमति नहीं देगा।
ii. इस अधिकरण की अनुमति के बिना आवेदकों की सावधि जमा पर किसी भी प्रकार का लोन, अग्रिम, समय पूर्व भुगतान नहीं होगा।
iii. बैंक आवेदकों को किसी भी प्रकार की चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नही करेगा। यद्यपि चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड पहले से जारी किया गया हो तो मुआवजा राशि के भुगतान के पूर्व उसे निरस्त करेगा।
iv. बैंक आवेदकों की पासबुक पर यह प्रविष्टि करेगा कि आवेदकों को चेक बुक या डेबिट कार्ड/क्रेडिट कार्ड जारी नहीं किए गए हैं और अधिकरण की अनुमति के बिना जारी नहीं किए जाएंगे। आवेदक उक्त प्रविष्ठि के साथ बैंक की पासबुक इस अधिकरण के अपर निबंधक के समक्ष प्रस्तुत करेगा ।

22. उपरोक्त आदेशानुसार इस दावे को मंजूर किया जाता है। तथापि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

दिनांक 19.12.2023 को खुले कोर्ट में अधिघोषित किया गया।

दावा फाईल अभिलेख विभाग को सुपुर्द की जाए।

(सैयद निशात अलि)
सदस्य (तकनीकी)

(संजीव अग्रवाल)
सदस्य (न्यायिक)

नागपुर.
दिनांक : 19.12.2023

/डीके/